(वाद सं0–550/2018)

23.07.2021

परिवादी, युगल किशोर उपाध्याय, सेवानिवृत लिपिक, विद्युत निरीक्षणालय, दक्षिणी बेली रोड, पटना अनुपस्थित है।

सचिव ऊर्जा विभाग की ओर से श्री अरविंद कुमार, वरीय विद्युत निरीक्षक उपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, युगल किशोर उपाध्याय, पूर्व पत्राचार लिपिक, विद्युत निरीक्षणालय पटना को दिनांक–01.01.1996 के प्रभाव से उनके वेतनमान्– 1,400–2,600 का प्रतिस्थानी 5,000–8,000रुपये निर्धारित करने तथा प्रथम ए0सी0पी0 5,500–9,000 व द्वितीय ए0सी0पी0 6,500–10,500 निर्धारित किये जाने से संबंधित है।

पूर्व में राज्य आयोग द्वारा दिनांक–25.03.2021 को पारित आदेशानुसार सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, पटना से यह अनुरोध किया गया था कि परिवादी के दावे पर वित्त विभाग, बिहार सरकार के परामर्श प्राप्त कर तद्नुसार कार्रवाई किया जाय।

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग के द्वारा सूचित किया गया है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार, यह परामर्श दिया गया है कि पत्राचार लिपिक का वेतनमान् दिनांक–01.01.1996 से 4,000–6,000 अनुशंसित है जिसको परिवादी को भुगतान किया जा चुका है। वित्त विभाग द्वारा परिवादी के 01.01.1996 से 5,000–8,000 के प्रतिस्थानी वेतनमान् भुगतान से संबंधित दावे को अस्वीकार कर दिया गया है। इसी तरह वित्त विभाग द्वारा परिवादी को प्रथम ए0सी0पी0 4,500–7,000 व द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान–5,000–8,000 तथा 5,500–9,000 को अनुमान्य बताया गया है जिसे परिवादी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। परिवादी के प्रथम ए0सी0पी0 व द्वितीय ए0सी0पी0 के 6,500–10,500 के दावे को अस्वीकार कर दिया गया है।

अब, जबकि वित्त विभाग द्वारा परिवादी के दावे को अस्वीकार कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग की

ओर से उक्त के संबंध में कोई अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामला को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक